महत्वपूर्ण / समयावधि

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–152 / राजस्व / राहत / 2013 / 1160 रायपुर, दिनांक 27.10.2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– अतिवृष्टि से फसल हानि के आर्थिक सहायता अनुदान वितरण करने बावत् ।

शासन स्तर पर इस आशय की निरंतर सूचनायें प्राप्त हो रहीं है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हो रही निरंतर वर्षा के कारण धान, सोयाबीन, गन्ना आदि फसलों को काफी क्षति हो रही है । अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि प्रत्येक जिले में खरीफ फसल को अतिवृष्टि से हुई क्षति का तत्काल आंकलन किया जावे तथा प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के तहत तत्काल आर्थिक सहायता अनुदान वितरण किया जावे ।

2. अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि आप अपने जिले में खरीफ फसलों को अतिवृष्टि या असामयिक वर्षा से हुई क्षति का तत्काल आंकलन तथा निम्न प्रपत्र में जानकारी **जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर से दिनांक 02.11.2013 तक अनिवार्य रूप से भेजने की व्यवस्था करें**:–

अतिवृष्टि / असामयिक वर्षा से खरीफ फसलों को हुई क्षति की जानकारी

क्र.	जिला	खरीफ फसल का नाम	अनुमानित रकवा हैक्टेयर में	औसत क्षति का प्रतिशत	अनुदान वितरण की जानकारी	
					कृषकों की संख्या	वितरित अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7

3. **जिलेवार प्राप्त उक्त रिपोर्ट की समीक्षा दिनांक 05.11.2013 को मुख्य सचिव द्वारा की जावेगी** । अतः यह पुनः सूचित किया जाता है कि ऊपर दर्शित प्रपत्र में जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित क्षति का आंकलन प्रतिवेदन दिनांक 02.11.2013 तक अनिवार्य रूप से भेजने की व्यवस्था करें ।

(के.आर. मिस्त्री)
सचिव 27/10/2013
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1–152 / राजस्व / राहत / 2013 / 1101 रायपुर, दिनांक 27.10.2011

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
2. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय रायपुर ।
3. संचालक, भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
3. संभागीय आयुक्त, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित । अनुरोध है कि कृपया अतिवृष्टि से हुई क्षति का त्वरित आंकलन करने तथा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी निर्धारित अवधि के भीतर भेजने हेतु अपने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करने तथा जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

27/10/2012

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग